सं. 145] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 13, 2007/आषाढ़ 22, 1929
No. 145] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 13, 2007/ASADHA 22, 1929

## महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

## अधिसूचना

मुम्बई, 10 जुलाई, 2007

**सं. टीएएमपी/56/2005-केओपीटी.**—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार हल्दिया स्थित कोलकाता पत्तन न्यास की भूमि और भवनों की किराया अनुसूची हेतु कोलकाता पत्तन न्यास द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि को आगे बढ़ाता है और हल्दिया स्थित केओपीटी की भूमि और भवनों की मौजूदा किराया अनुसूची की वैधता को आगे बढ़ाता है ।

## अनुसूची

## मामला सं. टीएएमपी/56/2005-केओपीटी

कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी) आवेदक

## आदेश

(जून, 2007 के 28वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने दिनांक 25 जनवरी, 2007 को हल्दिया स्थित केओपीटी की भूमि तथा भवनों की वर्तमान किराया अनुसूची की वैधता को 31 अगस्त, 2007 तक अथवा कोलकाता और हल्दिया स्थित केओपीटी की भूमि और भवनों की किराया अनुसूची के संशोधन हेतु केओपीटी द्वारा दाखिल किये जाने वाले प्रस्ताव पर इस प्राधिकरण द्वारा पारित किये जाने वाले आदेश की अधिसूचना की प्रभावी तिथि तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाते हुए, एक आदेश पारित किया था और केओपीटी को यह निदेश दिया कि वह अपना संशोधित प्रस्ताव अधिक से अधिक 31 मई, 2007 तक प्रस्तुत करें ।

2. केओपीटी ने अपने दिनांक 13 जून, 2007 के पत्र द्वारा इस प्राधिकरण से यह अनुरोध किया है कि कोलकाता और हल्दिया स्थित भूमि और भवनों की किराया अनुसूची के संशोधन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि को 31 दिसंबर, 2007 तक बढ़ा दिया जाए और हल्दिया स्थित भूमि और भवनों की वर्तमान किराया अनुसूची की वैधता को 31 मार्च, 2008 तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया जाए ।

3.1. केओपीटी द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, उसने भूमि नीति संबंधी दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार कोलकाता और हल्दिया स्थित भूमि और भवनों का मूल्यांकन करने हेतु एक परामर्शदाता को नियुक्त करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है । पत्तन ने कुछ कठिनाइयों को व्यक्त किया है, जिनके कारण वे भूमि तथा भवनों की किराया अनुसूची के संशोधन का प्रस्ताव 31 मई, 2007 तक प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं ।

3.2. यह प्राधिकरण कोलकाता और हल्दिया स्थित भूमि और भवनों की किराया अनुसूची के संशोधन के लिए संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की समय सीमा को बढ़ाने हेतु तथा हल्दिया में केओपीटी की भूमि और भवनों की वर्तमान किराया अनुसूची की वैधता को आगे बढ़ाने के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए प्रवृत्त है ।

4. हल्दिया स्थित कोलकाता की भूमि और भवनों की वर्तमान किराया अनुसूची की वैधता को 31 अगस्त, 2007 से आगे बढ़ाया जाता है और यह दिनांक 31 मार्च, 2008 तक अथवा हल्दिया स्थित अपनी भूमि और भवनों की किराया अनुसूची के संशोधन के लिए केओपीटी द्वारा दाखिल किये जाने वाले प्रस्ताव पर इस प्राधिकरण द्वारा पारित किये जाने वाले आदेश की अधिसूचना की प्रभावी तिथि तक, इनमें से जो भी पहले हो, वैध रहेगी। केओपीटी को यह निदेश दिया जाता है कि वह कोलकाता स्थित केओपीटी की भूमि और भवनों की किराया अनुसूची के लिए एक प्रस्ताव और हल्दिया स्थित केओपीटी की भूमि और भवनों की किराया अनुसूची के संशोधन के लिए एक संशोधित प्रस्ताव अधिक से अधिक 31 दिसम्बर, 2007 तक दाखिल करें।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/143/2007/असा.]